

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No. F.3 (31)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS- IV / 57

Dated: 26/8/20

Notification No. 39/2020– State Tax

No. F.3(31)/Fin.(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I) No. 11/2020– State Tax, dated 20-08-2020, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (25)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/51 dated the 20-08-2020, namely:-

In the said notification

- (i) in the first paragraph, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that the said class of persons shall not include those corporate debtors who have furnished the statements under section 37 and the returns under section 39 of the said Act for all the tax periods prior to the appointment of IRP/RP.”;

- (ii) for the paragraph 2, with effect from the 21st March, 2020, the following paragraph shall be substituted, namely: -

“2. **Registration.**- The said class of persons shall, with effect from the date of appointment of IRP / RP, be treated as a distinct person of the corporate debtor, and shall be liable to take a new registration (hereinafter referred to as the new registration) in each of the States or Union territories where the corporate debtor was registered earlier, within thirty days of the appointment of the IRP/RP or by 30th June, 2020, whichever is later.”.

2. This notification shall come into force with effect from the 05th day of May, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,


(Sunil Sehgal)
Dy. Secretary IV (Finance)

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.



(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary IV (Finance)

Note: The principal notification was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, vide No. F.3 (25)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/51 dated the 20-08- 2020, vide notification No. 11/2020-State Tax, dated the 20-08-2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002

सं0फा0 03(31)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डी.एस.-IV / 57

दिनांक: 26/8/20

अधिसूचना संख्या 39/2020-राज्य कर

सं.फा. 3(31)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV / : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, दिल्ली सरकार के वित्त विभाग (राजस्व-राजस्व-I) में, अधिसूचना सं. 11/2020-राज्य कर, तारीख 20-08-2020 को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में संख्यांक सं.फा. 3(25)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV /51, तारीख 20-08-2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था, का निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में-

(i) प्रथम पैरा में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु व्यक्तियों के ऐसे वर्ग में वे निगमित ऋणी नहीं आयेंगे जिन्होंने आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के पहले तक की सभी कर अवधियों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 37 के अधीन विवरण और धारा 39 के अधीन विवरणी भर दिया है।";

(ii) पैरा 2 के स्थान पर, तारीख 21 मार्च, 2020 से प्रभावी अवधियों के लिए, निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:-

"2. रजिस्ट्रीकरण - ऐसे व्यक्तियों के उक्त वर्ग को, आईआरपी/आरपी तारीख की नियुक्ति की तारीख से प्रभावी निगमित ऋणी के सुभिन्न व्याक्ति के रूप में माना जाएगा और प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां वह निगमित ऋणी पूर्व में रजिस्टर्ड था, आईआरपी/आरपी की नियुक्ति के तीस दिन के भीतर या 30 जून, 2020 तक, जो भी पश्चात का हो, नया रजिस्ट्रीकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् नया रजिस्ट्रीकरण कहा गया है) कराने के लिए उत्तरदायी होगा।"

2. यह अधिसूचना 5 मई, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(सुनील सहगल)
उप सचिव-IV (वित्त)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव (सामान्य प्रशासन), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र के भाग - चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. निजी सचिव, नेता प्रतिपक्ष, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साईट।



(सुनील सहगल)
उप सचिव- IV (वित्त)

टिप्पण : मूल अधिसूचना को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में सं. 11/2020-राज्य कर, तारीख . 20-08-2020 संख्यांक सं.फा. 3(25)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस- IV / 51, तारीख 20-08-2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।